


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2402 दिनांक 12.09.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-</p> <p>ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।</p> <p>1. राघव पुत्र दिनेश कुमार लढा जाति महाजन, साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-</p> <p style="padding-left: 40px;">आराजी नम्बर 2217/823/2 क्षेत्रफल 0.5374 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.5374 हैक्टेयर भूमि रहेगी।</p> <p>2. अनिल पुत्र रामराय सोनी, साकिन भीलवाडा, कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरूप कोठारी, निवासी सांगानेर, विनोदकुमार पुत्र लक्ष्मीलाल नुवाल अहिंसानगर कांकारोली राजसमन्द, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-</p> <p style="padding-left: 40px;">आराजी नम्बर 2217/823/1 रकबा 0.3225 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3225 हैक्टेयर भूमि रहेगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 12-9-2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।</p>	


 उपखाण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
 भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

724 / 2024

28.08.2024

12.9.2024

उनवान

1. राघव लढा पुत्र श्री दिनेश कुमार लढा जाति महाजन आयु वयस्क निवासी 2 एफ 11 आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा व जिला भीलवाड़ा (राज०)

--- वादी

बनाम

1. अनिल पुत्र श्री रामराय सोनी निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप कोठारी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. विनोद कुमार नुवाल पुत्र लक्ष्मीलाल नुवाल निवासी अहिंसा नगर, कांकारोली तहसील राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात


वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 12.9.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील व जिला भीलवाड़ा।

1. राघव पुत्र दिनेश कुमार लढा जाति महाजन, साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-
आराजी नम्बर 2217 / 823 / 2 क्षेत्रफल 0.5374 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.5374 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. अनिल पुत्र रामराय सोनी, साकिन भीलवाड़ा, कैलाशचन्द्र पिता रामस्वरूप कोठारी, निवासी सांगानेर, विनोदकुमार पुत्र लक्ष्मीलाल नुवाल अहिंसानगर कांकारोली राजसमन्द, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 2217 / 823 / 1 रकबा 0.3225 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3225 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा